:: <u>न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अकलेरा जिला झालावाड़</u> ::

पीठासीन न्यायाधीश	मुकेश कुमार सोनी **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
क्लेम याचिका सं.-	02/2020
CIS No.-	02/2020

01. **द्रोपदी बाई** पत्नी राजकिरण,
02. **आशीष** पुत्र राजकिरण,
03. **अविनाश** पुत्री राजकिरण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता द्रोपदी बाई निवासीगण बिशनखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

---प्रार्थीगण

बनाम

01. **नवीन नागर** पुत्र रामप्रसाद, निवासी बिशनखेड़ी, तहसील खानुपर, जिला झालावाड़ (राज.)

---वाहन चालक

02. **हंसराज** पुत्र कन्हैयालाल, निवासी चमलासा, तहसील खानुपर, जिला झालावाड़ (राज.) **---वाहन स्वामी**
03. **किरण बैरवा** पत्नी मनोज, निवासी बिशनखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.) हाल मुकाम दीनदयाल नगर, क्रेशर बस्ती अनन्तपुरा, कोटा, जिला कोटा (राज.)
04. **दिशा बैरवा** आयु 5 वर्ष 9 माह पुत्री मनोज नाबालिग जरिये संरक्षिका माता किरण बैरवा पत्नी मनोह, निवासी बिशनखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.) हाल मुकाम दीनदयाल नगर, क्रेशर बस्ती अनन्तपुरा, कोटा, जिला कोटा (राज.)

---अप्रार्थीगण

क्लेम याचिका संख्या	**94/2021**
CIS No.-	**94/2021**

लटूरलाल पुत्र अमरलाल, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

---प्रार्थी/आहत

बनाम

01. **नवीन नागर** पुत्र रामप्रसाद, निवासी बिशनखेड़ी, तहसील खानुपर, जिला झालावाड़ (राज.)

---वाहन चालक

02. **हंसराज** पुत्र कन्हैयालाल, निवासी चमलासा, तहसील खानुपर, जिला झालावाड़ (राज.) **---वाहन स्वामी**

---अप्रार्थीगण

<u>क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम</u>

<u>उपस्थितः-</u>

01. श्री मनीष श्रृंगी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
02. श्री रविशंकर विजय, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।
03. श्री नितिन मेवाड़ा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3, 4 की ओर से।
04. अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: अधिनिर्णय :: दिनांक 07.03.2026

1. प्रार्थीगण **द्रोपदी बाई आदि** की ओर से वाहन दुर्घटना में मनोज की मृत्यु हो जाने व **प्रार्थी लटूरलाल** की ओर से स्वयं के चोटग्रस्त हो जाने पर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध पृथक-पृथक क्लेम याचिकाएं इस अधिकरण के समक्ष पेश की गई हैं। उक्त क्लेम याचिकाएं एक ही दुर्घटना से सम्बन्धित हैं और इनके सम्बन्ध में पुलिस थाना कनवास में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 120/2019 दर्ज है, इसलिए उक्त दोनों क्लेम याचिकाओं को समकित किया जाकर एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने उक्त क्लेम याचिकाओं में इस आशय का अभिवचन किया है कि दिनांक 25.06.2019 को शाम करीब 6.00 बजे मनोज, आहत लटूरलाल के साथ नवीन नागर के ट्रेक्टर नं. आर.-जे. 17 आर.बी. 5636 मय ट्रोली में बैठकर कोटा से अपने गांव बिशनखेड़ी आ रहा था तो ग्राम टोल्या में स्कूल के पास अप्रार्थी नं. 1 नवीन नागर ने ट्रेक्टर को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाया जिससे ट्रोली पलट गई और ट्रोली में बैठे मनोज की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा लटूरलाल गम्भीर घायल हुआ। याचिका के अनुसार वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 नवीन नागर ट्रेक्टर नं. आर.जे. 17 आर.बी. 5636 का चालक था जो वाहन स्वामी हंसराज के हितार्थ व निर्देशन में वाहन चला रहा था। अप्रार्थी सं. 2 हंसराज उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 120/2019 थाना कनवास में दर्ज करवाई गई।

3. प्रार्थीगण/आहत ने अपनी आय व प्रतिकर की राशि का पृथक-पृथक अभिवचन किया है, जिसके अनुसार मृतक मनोज के दुर्घटना में मृत्यु के कारण प्रार्थीगण को हुए मानसिक, शारीरिक कष्ट, ईलाज, परिवहन खर्च, खाना खुराक एवं आमदनी की हानि व अन्य विभिन्न मदों का उल्लेख करते हुए बतौर क्षतिपूर्ति वर्णित आधार पर प्रार्थीगण द्रोपदी बाई व अन्य को कुल 85,60,000/- रूपये एवं आहत लटूरलाल ने दुर्घटना में स्वयं के आई चोटों के कारण कुल 11,00,500/-

रूपये अप्रार्थीगण 1 व 2 से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से प्रतिकर मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब पेश कर याचिका के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि मृतक व आहत की मासिक आय 15,000/- होना गलत है। वाहन ट्रेक्टर नं. आर.जे. 17 आर.बी. 5636 के चालक की गफलत एवं लापरवाही से कोई दुर्घटना नहीं घटी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाए जाने का कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा उक्त वाहन दिनांक 26.05.2017 को अप्रार्थी सं. 1 नवीन नागर को विक्रय कर दिया था तथा दिनांक 10.02.2019 को वाहन के पंजीकृत स्वामी के नाम परिवर्तन की जिला परिवहन विभाग को कानूनी कार्यवाही (फार्म सं. 29-30) पूरी कर ली थी तथा फार्म नं. 29-30 की प्रमाणित कर अप्रार्थी सं. 1 को सुपुर्द कर दिये। दिनांक 26.05.2017 से ही अप्रार्थी सं. 1 उक्त वाहन का मालिक होकर सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। अप्रार्थी सं. 2 हंसराज किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 का उक्त वाहन से कोई लेना देना नहीं है। उसे बिना कोई ठोस आधार के पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में मृतक की आयु व आय तथा आहत की आय के बारे में काल्पनिक अभिवचन किए गए हैं। प्रार्थी सं. 2 आशीष वयस्क है तथा किसी प्रकार से मृतक पर आश्रित नहीं था। प्रार्थिया किरण का मृतक मनोज की पत्नी होना साबित नहीं है तथा वह मृतक मनोज के संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने की हकदार नहीं है। आहत लटूरलाल के आई साधारण उपहतियों को काफी बड़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थीगण की क्लेम याचिकाएं सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

5. मृतक मनोज की पत्नी व पुत्री (आप्रार्थी सं. 3, 4) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सिप्रसं स्वीकार किया जाकर उन्हें क्लेम याचिका सं. 02/2020 में अप्रार्थी सं. 3 व 4 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। उनकी ओर से जवाब पेश किया गया कि दिनांक 25.06.2019 को हुई दुर्घटना में मनोज की मृत्यु हुई है जो अप्रार्थी क्रम 3 का पति व अप्रार्थी क्रम 4 का पिता था। वे भी प्रार्थीगण के अतिरिक्त मृतक मनोज के उत्तराधिकारी हैं। मृतक मनोज की मृत्यु से वे मृतक मनोज के प्रेम, स्नेह से वंचित हो गए हैं। अंत में निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में से उनका हिस्सा दिलाए जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 30.08.2025 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गयेः-

1. आया दिनांक 25.06.2019 को शाम के करीब 6.00 बजे ग्राम टोलया में स्कूल के पास अप्रार्थी सं. 1 ने वाहन ट्रेक्टर आर.जे. 17 आर.बी. 5636 को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाया जिसके कारण ट्रोली पलट गई

और ट्रोली में सवार मनोज की मृत्यु कारित हुई तथा लटूरलाल के साधारण व गम्भीर उपहति कारित हुई?

..... प्रार्थीगण

2. आया अप्रार्थी सं. 1 उक्त वाहन को अप्रार्थी सं. 2 के नियोजन-निर्देशन में व हितार्थ चला रहा था?

..... प्रार्थीगण

3. आया अप्रार्थीगण की ओर से जवाब याचिका में उठाई गई आपत्तियों के आधार याचिका खारिज किए जाने योग्य है? यदि हाँ तो किस प्रकार?

..... अप्रार्थीगण

4. आया मनोज की दुर्घटना में मृत्यु के कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 क्लेम याचिका में वर्णित राशि 85,60,000/- रूपये अप्रार्थीगण से मय ब्याज प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

..... प्रार्थीगण च अप्रार्थी सं. 3, 4

5. आया प्रार्थी लटूरलाल क्लेम याचिका में वर्णित राशि 11,00,500/- रूपये मय ब्याज राशि प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है?

.....प्रार्थी

6. अनुतोष ?

7. प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में साक्षी क्रमांक 1 द्रोपदी बाई, साक्षी क्रमांक 2 लटूरलाल के लेबखद्ध करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 15 प्रलेखों को प्रदर्शित करवाया गया। अप्रार्थी सं. 3, 4 की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी क्रमांक 1 किरण व अप्रार्थी सं. 2 की ओर से साक्षी क्रमांक 2 हंसराज व साक्षी क्रमांक 3 गोविन्द प्रसाद के बयान करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए. 1 मृतक मनोज का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श एन.ए. 2 दिशा का जन्म प्रमाण पत्र, प्रदर्श एन.ए. 3 दिशा का आधार कार्ड, प्रदर्श एन.ए. 4 किरण का आधार कार्ड, प्रदर्श एन.ए. 5 स्टॉम्प, प्रदर्श एन.ए. 6 फॉर्म नं. 29-30 व प्रदर्श एन.ए. 7 सुपुर्दगीनामा को प्रदर्शित करवाया गया।

8. उभय पक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का निवेदन है कि दुर्घटना वाहन चालक अप्रार्थी सं. 1 की उपेक्षा से घटित हुई है। साक्ष्य से यह साबित है कि इस दुर्घटना के कारण मनोज की मृत्यु हो गई और प्रार्थी लटूरलाल के साधारण व गम्भीर चोटें कारित हुई हैं। उनका तर्क है कि अप्रार्थी सं. 3 व 4 मृतक मनोज की पत्नी व पुत्री हैं जो मृतक आश्रित होने के तथ्य से ऐतराज नहीं है। यह भी तर्क दिया कि वाहन का पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी सं. 2 है। उसने वाहन अप्रार्थी सं. 1 को विक्रय करना बताया है लेकिन परिवहन विभाग में अन्तरण की कोई कार्यवाही नहीं की गई। वाहन फाईनेंस पर होने से उसका वैध रूप से

विक्रय और अन्तरण नहीं किया जा सकता था। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रतिकर अदायगी के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। याचिका स्वीकार कर वांछित प्रतिकर अप्रार्थीगण से दिलवाये जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3, 4 का निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 3, 4 मृतक मनोज की वैध पत्नी और पुत्री हैं इसलिए प्रतिकर प्राप्त करने का उन्हें विधिक अधिकार है।

10. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 का निवेदन है कि मृतक मनोज व आहत लटूरलाल ट्रेक्टर की ट्रोली में बैठकर यात्रा कर रहे थे। इसलिए वे स्वयं दुर्घटना में उपेक्षावान रहे हैं। उनका तर्क है कि प्रश्नगत ट्रेक्टर दुर्घटना से पहले ही दिनांक 26.05.2017 को पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को विक्रय कर दिया गया था। आपराधिक प्रकरण में भी यह तथ्य साबित पाया गया है, इसलिए घटना के समय अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के नियोजन में नहीं था। अप्रार्थी सं. 2 प्रतिकर अदायगी के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। प्रार्थीगण व मृतक के आय व प्रतिकर का आधार साबित नहीं है। क्लेम यचिका खारिज करने का निवेदन किया गया है।

11. सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। प्रत्येक विवाद्यक पर अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः-

<u>विवाद्यक संख्या 1</u>

12. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में परीक्षित साक्षी क्रमांक 1 द्रोपदी बाई ने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में अपनी याचिका के तथ्यों को दोहराया है और दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मृतक मनोज उसका पुत्र है। मनोज की शादी किरण बैरवा से हुई है। दुर्घटना के समय उसकी पुत्रवधु किरण के पेट में जो शिशु था वह उसके पुत्र मनोज का था। दुर्घटना के समय उसकी पुत्रवधु नाते नहीं गई थी। दिशा मनोज की पुत्री है। अप्रार्थी सं. 2 की प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना नहीं देखी क्योंकि वह मौके पर नहीं थी। साक्षी का कथन है कि वह कनवास अस्पताल में गई थी जहां उसका पूरा परिवार था। दुर्घटना की रिपोर्ट मुकेश ने कराई थी। मनोज ट्रेक्टर में बैठकर बिशनखेड़ी आ रहा था। क्लेम में उसने अपनी बहू किरण का नाम नहीं लिखाया था क्योंकि उस समय वह अपने पीहर में थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि क्लेम याचिका के कॉलम सं. 21 व 22 में भी उसने अपनी पुत्रवधु किरण का नाम नहीं लिखाया क्योंकि वह मनोज की मृत्यु के बाद से ही पीहर चली गई थी। साक्षी का कथन है कि मृतक मुकेश उसके चाचा के साथ बैलदारी का काम करता था। गवाह

ने फिर कहा कि चुनाई का काम करता था। साक्षी का कथन है कि मनोज महीने के 10-15 हजार रूपये प्रतिमाह कमाता था। उसका बच्चा आशीष अपंग है जो कोई काम नहीं करता व अविनाश 300 रूपये रोज मजदूरी करता है। मनोज घर का खर्चा चलाता था व बचे हुए पैसे उसे लाकर देता था। साक्षी ने आगे कथन किया कि ट्रेक्टर मालिक का नाम नवीन है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि दुर्घ्र्ज्ञटना हुई उस दिन भी ट्रेक्टर नवीन के पास ही था। आगे कथन किया कि दुर्घटना वाला ट्रेक्टर 3-4 माह से नवीन के पास ही था व अभी भी नवीन के पास ही है।

13. प्रार्थी साक्षी क्रमांक 2 लटूरलाल ने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में याचिका के तथ्यों की पुष्टि की है और पूर्व में प्रदर्शित दस्तावेजों के अतिरिक्त स्वयं की एमएलसी प्रदर्श 14 व एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श 15 को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि दुर्घटना के समय वह कोटा था। कोटा से बैठकर आ रहा था। ट्रेक्टर में गिट्टी, पत्थर, लेन्टर भी भरे हुए थे। ट्रेक्टर नवीन का था। साक्षी का कथन है कि वे ट्रेक्टर में बैठे थे इस आधार पर जानकारी है मनोज, वह और नवीन था। इस सुझाव को गलत बताया कि बारिश होने की वजह से वे ट्रेक्टर में से कूद गए हो। आगे कथन किया कि उसका ईलाज कनवास व झालावाड़ हुआ था। वह चुनाई का काम करता था, 500/- रूपये रोज कमाता था। अभी ट्रेक्टर किसके पास है उसे पता नहीं है।

14. अप्रार्थी साक्षी क्रमांक 1 किरण ने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में जवाब याचिका में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है व अपने पति का मृत्यु प्रमाण प्रदर्श 1, अपनी पुत्री अप्रार्थी सं. 4 का जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, अपनी पुत्री दिशा का आधार कार्ड प्रदर्श 3 व स्वयं का आधार कार्ड प्रदर्श 4 को प्रदर्शित करवाया। प्रार्थी की ओर से प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि उसके पति की मृत्यु के समय दिशा का जन्म नहीं हुआ था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके पति की मृत्यु के बाद वह पीहर चली गई थी। उसकी पुत्री का जन्म उसके पीहर में ही हुआ था। इस सुझाव को गलत बताया कि वह उसके पति मनोज की मृत्यु के बाद नाते चली गई हो। स्वयं कहा कि उसकी पुत्री को अपानाने के लिए कोई तैयार नहीं था। इस सुझाव को गलत बताया कि मनोज सारा पैसा अपनी माता पर खर्च करता हो बल्कि उस पर खर्च करता था। उसके पति की 15000 रूपये मासिक आय होना बताया है। अप्रार्थी सं. 2 की प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना नहीं देखी। साक्षी ने ट्रेक्टर चालक हंसराज व ट्रेक्टर नवीन का होना कथन किया है। इस सुझाव को गलत बताया कि मनोज की मृत्यु के बाद वह ससुराल में नहीं रही हो बल्कि 12 दिन के बाद भी काफी दिनों तक ससुराल में रही थी। साक्षी का कथन है कि दुर्घटना के बाद वह प्रेग्नेंट थी इसलिए इधर-उधर बाहर नहीं जा पाती थी इसलिए उसने क्लेम अलजग से पेश नहीं किया। साक्षी का कथन है कि उसने नाता विवाह

नहीं किया। वह अभी दो साल से कोटा रह रही है। इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसकी शादी मनोज से नहीं हुई हो व क्लेम का लाभ लेने के लिए वह झूठे बयान दे रही हो।

15. अप्रार्थी साक्षी क्रमांक 2 हंसराज ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में जवाब याचिका के तथ्यों को दोहराया है तथा फार्म नं. 29, 30 प्रदर्श एनए 6 व सुपुर्दगीनामा प्रदर्श एनए 7 को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि जिस दिन घटना हुई उस दिन ट्रेक्टर उसके नाम ही था। ट्रेक्टर पर उसने फाईनेंस करवा रखा था जिसका फाईनेंस पूरा नहीं हुआ था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श एनए 5 केवल इकरारनामा है, विक्रय पत्र नहीं है। इस सुझाव को गलत बताया कि जब तक वह किश्तें पूरी नहीं चुका देता व उसे नोड्यूज नहीं मिल जाता तब तक वह ट्रेक्टर को बेचान नहीं कर सकता हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि जब तक ट्रेक्टर की फाईनेंस की किश्तें पूरी नहीं हो जाती है तब ट्रेक्टर फाईनेंस कम्पनी में रहन रहता है।

16. अप्रार्थी साक्षी क्रमांक 3 गोविन्द प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में वाहन ट्रेक्टर नं. आर.जे. 17 आर.बी. 5636 को दिनांक 26.05.2017 को नवीन नागर को विक्रय कर फार्म नं. 29, 30 प्रमाणित कर नवीन नागर को सुपुर्द करना व दुर्घटना के लिए हंसराज किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होना कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि प्रदर्श एनए 5 पर कौनसे नोटरी से नोटेरी करवाया था उसे लम्बा समय होने से आज पता नहीं है। साक्षी का कथन है कि ट्रेक्टर का फाईनेंस खत्म नहीं हुआ, ट्रेक्टर हंसराज का था व उसने पहली किश्त भरी थी। इस सुझाव को गलत बताया कि वर्तमान में हंसराज ट्रेक्टर चलाता हो। इस सुझाव को सही बताया कि ट्रेक्टर के मालिक तभी बदलेगा जब उसकी पूरी किश्तें भर जाएगी व नोड्यूज मिल जाएगा।

17. प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा दाण्डिक प्रकरण की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है। जिनसे प्रकट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या दिनांक 26.06.2019 को अभियोगी मुकेश द्वारा सीएचसी कनवास में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर दर्ज हुई है जिसके अनुसार दिनांक 25.06.2019 को अभियोगी का भतीजा मनोज व रिश्तेदार लटूरलाल गांव के ही नवीन नागर के ट्रेक्टर महिन्द्रा 475 डी.आई. में कोटा से गांव बिशनखेड़ी ट्रोली में बैठकर आ रहे थे। चालक ने ट्रेक्टर को गफलत, लापरवाही, तेज गति से चलाकर दीवार से टकरा दिया जिससे ट्रोली पलट गई जिसके नीचे दबने से मनोज की मृत्यु हो गई और लटूरलाल घायल हो गया। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना कनवास जिला कोटा में अभियोग 120/2019 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.दं.सं. दर्ज कर बाद अनुसन्धान अप्रार्थी संख्या 1 नवीन नागर के विरूद्ध धारा 279, 337,

338, 304ए भा.दं.सं. व 134/187, 146/196 एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श 2 सक्षम न्यायालय में पेश किया गया है।

18. अनुसंधान के दौरान जप्त पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श 12 के अनुसार अप्रार्थी सं. 2 हंसराज आरोपी वाहन ट्रैक्टर (महिन्द्रा 415 डी.आई.) आर.जे. 17 आर.बी. 5636 का पंजीकृत स्वामी था। वाहन चालक नवीन कुमार अप्रार्थी सं. 1 का ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श 13 जप्त किया गया है। पंजीकृत स्वामी हंसराज को दिए गए नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट प्रदर्श 9 में उसका जवाब अंकित है कि वह उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है और दिनांक 26.05.2017 को उसने वाहन नवीन को बेचान कर दिया। ट्रेक्टर पर फाईनेंस की किश्तें चुकता होने पर ही उसके नाम कराने की लिखापढ़ी हुई थी। घटना के दिन वाहन कौन चला रहा था वह नवीन नागर ही बताएगा। अप्रार्थी सं. 1 नवीन नागर को दिए गए नोटिस धारा 133 एम.-वी. एक्ट प्रदर्श 10 में उसका जवाब अंकित है कि उसने वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी हंसराज से दिनांक 26.05.2017 को वाहन खरीदा था। ट्रेक्टर पर फाईनेंस की किश्तें चुकता होने पर ट्रेक्टर उसके नाम करवाए जाने का इकरारनामा लिखा गया था। वर्तमान में वाहन स्वामी वह स्वयं है और दिनांक 25.06.19 को घटना के समय वाहन ट्रेक्टर को वह स्वयं चला रहा था। नक्शा मौका प्रदर्श 6 में ग्राम टोल्या में सरकारी स्कूल के पास एक्स स्थान पर ट्रेक्टर चालक द्वारा तेजगति, गफलत लापरवाही से चलाकर ट्रोली पल्टा दिया जाना दर्शाया गया है। दिनांक 30.06.2019 को वाहन ट्रेक्टर महेन्द्रा 415 डी.आई. बिना नम्बरी जप्त किया गया है। इसप्रकार दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेजों से इस घटना में वाहन ट्रैक्टर (महिन्द्रा 415 डी.आई.) आर.जे. 17 आर.बी. 5636 की लिप्तता प्रकट होती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में ट्रेक्टर चालक का नाम नवीन नागर अंकित है। जो आरोपी वाहन और चालक की लिप्तता को दर्शाता है। मृतक मनोज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 के अनुसार प्रश्नगत दुर्घटना के कारण कारित चोटों से उसकी मृत्यु कारित होना दर्शित होता है। आहत लटूरलाल के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 14 में दो चोटें कारित होना अंकित है, जिनमें चोट संख्या 01 साधारण प्रकृति की एवं चोट संख्या 02 एक्स रे के पश्चात् क्वेकिल अस्थि के भंग के कारण गम्भीर प्रकृति की होना पाया गया है।

19. यद्यपि वाहन चालक अप्रार्थी सं. 1 नवीन नागर स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है किन्तु उसके विरूद्ध आरोप पत्र पेश होना एवं उसके द्वारा खण्डन में कोई प्रतिवाद पेश नहीं करना उसकी लिप्तता की सम्पुष्टि करता है।

20. न्यायालय के विनम्र मत में क्लेम याचिका के निस्तारण के समय यह अपेक्षा नही की जाती कि प्रार्थी अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे, अपितु संभावनाओं की प्रबलता के मानक को दृष्टिगत रखते हुए कठोर निर्वचन के स्थान पर साक्ष्य का उदार निर्वचन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **2018(1) A.C.T.C. (SC) 479 Manglaram v. Oriental Insurance Co. Ltd & ors.** में अभिनिर्धारित किया गया है किः-

I. Motor vehicles Act, 1988- Sec. 166- Establishment of claim case- Claimants are merely to establish their case on the touchstone of the preponderance of probability- Standard of proof beyond reasonable doubt cannot be applied by Tribunal while dealing with the motor accident cases.

ii- Negligence-Determination-Way of-Filling of charge sheet against the driver of offending vehicle prima facie points towards his complicity in driving the vehicle negligently and rashly-Even when the accused were to be acquitted in the criminal case, the same may be of no effect on the assessment of the liability required in respect of motor accident cases by the Tribunal.

21. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी साक्षियों ने दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 1 नवीन नागर की तेजी व लापरवाही के कारण होना बताया है। स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 हंसराज ने क्लेम याचिका के अभिकथनों से असहमति प्रकट की है किन्तु वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र एक दिवस के विलम्ब से दर्ज हुई है और यह प्रकट होता है कि रिपोर्ट घटना के अगले दिन मृतक मनोज के चाचा द्वारा सीएचसी कनवास में पेश की गई है। प्रथम सूचना में मामूली विलम्ब घटना की वास्तविकता के बारे में संदेह के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी साक्षी लटूरलाल स्वयं घटना में चोटग्रस्त हुआ है और उसकी साक्ष्य अखण्डित रही है। इस प्रकार प्रार्थी साक्ष्य से क्लेम याचिका में वर्णित दुर्घटना का तथ्य अखण्डित रूप से साबित हुआ है।

22. प्रकरण में मृतक मनोज की दुर्घटना में कारित मृत्यु के प्रतिकर के लिए उसकी माता द्रोपदी बाई व दो छोटे भाईयों की ओर से क्लेम याचिका पेश की गई है। दौराने विचारण मृतक मनोज की पत्नी किरण व पुत्री दिशा को अप्रार्थी सं. 3, 4 के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 3 की साक्ष्य में यह निर्विवादित रूप से प्रकट हुआ है कि अप्रार्थी सं. 3 किरण मृतक मनोज की पत्नी है जिसके अन्यत्र विवाह की कोई साक्ष्य नहीं है। अप्रार्थी सं. 4 दिशा मृतक मनोज की पुत्री होने के सम्बन्ध में भी साक्ष्य में कोई विवाद प्रकट नहीं हुआ है। एेसी स्थिति में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 3, 4 मृतक मनोज की दुर्घटना में कारित मृत्यु के लिए उचित प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण सं. 1, 2, 3/अप्रार्थी सं. 3, 4 व प्रार्थी लटूरलाल के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या-2 व 3</u>

23. उक्त विवाद्यक अप्रार्थीगण के प्रतिकर अदायगी के उत्तरदायित्व से सम्बन्धित है। इसलिए इन दोनों विवाद्यकों को संयुक्तरूप से विनिश्चित किया जाना उचित होगा। विवाद्यक संख्या 02 को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर है एवं

विवाद्यक संख्या 03 को साबित करने का भार अप्रार्थी संख्या 2 पर है। क्लेम यचिका एवं प्रार्थीगण की मौखिक साक्ष्य में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नियोजन व हितार्थ वाहन को चलाये जाने का कथन है। विवाद्यक संख्या 1 के विनिश्चय में दुर्घटना वाहन ट्रेक्टर महिन्द्रा 415 डीआई संख्या आर.जे. 17 आर.बी. 5636 के चालक अप्रार्थी संख्या 1 की उपेक्षा एवं उतावलेपन से कारित होना साबित पाया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधार पर क्लेम याचिकाएं खारिज किये जाने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है।

24. अप्रार्थी संख्या 2 हंसराज का मुख्य प्रतिवाद है कि उसने प्रश्नगत ट्रेक्टर दुर्घटना के पूर्व ही दिनांक 26.05.2017 को अप्रार्थी सं. 1 नवीन नागर को विक्रय कर दिया था तथा दिनांक 10.02.2019 को वाहन के पंजीकृत स्वामी के नाम परिवर्तन की जिला परिवहन विभाग को कानूनी कार्यवाही पूरी कर फार्म नं. 29-30 प्रमाणित कर अप्रार्थी सं. 1 को सुपुर्द कर दिये। इसलिए दिनांक 26.05.2017 से अप्रार्थी सं. 1 ही उक्त वाहन का मालिक होकर सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। अप्रार्थी सं. 2 हंसराज का क्षतिपूर्ति अदायगी बाबत कोई दायित्य नहीं है।

25. इस सम्बन्ध में दाण्डिक प्रकरण में धारा 133 एम वी एक्ट के नोटिस के जवाब में भी उक्त हंसराज व नवीन नागर द्वारा यह प्रतिकथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत वाहन ट्रैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय कर दिया गया था। किन्तु उक्त दोनों का यह भी अभिकथन है कि उक्त ट्रेक्टर अप्रार्थी संख्या 2 ने फाईनेंस पर खरीदा था और कथित विक्रय इकरारनामा या घटना के समय तक उक्त ऋण चुकता नहीं किया गया था तथा ऋण अदा होने के पश्चात् विक्रय का लेख लिखा जाना था। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2003 R.A.R. 348 (Raj) Chhogalal vs Vallabh & Ors. में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दुर्घटना से पहले पंजीकृत स्वामी द्वारा वाहन विक्रय कर दिये जाने के आधार पर क्रेता/वाहन स्वामी को प्रतिकर अदायगी के लिए उत्तर-दायी होना अभिनिर्धारित किया है।

26. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से दर्शित होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए. 5 इकारारनामा, प्रदर्श एन.ए. 6 फॉर्म नं. 29-30 व प्रदर्श एन.ए. 7 सुपुर्दगीनामा को प्रदर्शित करवाया गया। जिनमें आरोपी वाहन को दुर्घटना से पूर्व विक्रय किया जाना व वाहन को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त करना दर्शित होता है, किन्तु स्वयं अप्रार्थी की साक्ष्य से यह स्वीकृत स्थिति है कि परिवहन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार घटना के समय अप्रार्थी संख्या 2 हंसराज वाहन का पंजीकृत स्वामी है। पत्रावली में संलग्न पंजीयन प्रमाण पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अप्रार्थी संख्या 2 ने यह अभिकथन अवश्य किया है कि उसने दिनांक 10.02.2019 को पंजीकृत स्वामी के नाम परिवर्तन की जिला परिवहन

विभाग में कानूनी कार्यवाही पूरी कर फार्म नं. 29-30 प्रमाणित कर अप्रार्थी सं. 1 को सुपुर्द कर दिया था, किन्तु उसके द्वारा उक्त फार्म नं. 29-30 परिवहन विभाग में पेश नहीं किये गये हैं और स्वयं अप्रार्थी की साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि उक्त विक्रय के समय वाहन फाईनेंस पर था और पंजीकृत स्वामी द्वारा बिना फाईनेंस ऋण अदा किये वाहन को विक्रय किये जाने के अधिकार का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है।

27. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ATCC 2017(1) 209 Norti & ors. v. Murad के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि पंजीकृत स्वामी द्वारा वाहन का बेचान करने के पश्चात् आरटीओ कार्यालय में स्वामित्व परिवर्तित नहीं हुआ तो पंजीकृत स्वामी व क्रेता दोनों प्रतिकर अदायगी के लिए जिम्मेदार होगा।

28. इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नवीनतम न्यायिक दृष्टांत Brij Bihari Gupta vs Manmet Civil Appeal Nos. 6338-6339/2024 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "....The transfer of the registration as per Section 50 of the Motor Vehicle Act, 1982 requires the transferee to report the fact of transfer in the prescribed form to the Registering Authority within whose jurisdiction the transfer is affected within 14 days of the transfer. There is no contention raised by the registered owner that he made such a report as required under Section 50(1)(a)(i) of the Act. Hence the ownership was with the registered owner even at the time of the accident and it is his liability to compensate the victims in the accident, which also has to be indemnified by the insurer. We also notice that in Naveen Kumar1, the definition of owner in the Act of "the Act" 1988 was interpreted to facilitate fulfilment of the object of the law, which was not to burden the claimant to follow the trail of successive transfers. The liability to pay falls squarely on the registered owner, even if there has been successive transfers which has to be indemnified by the insurer.

29. उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के ही पूर्ववर्ती निर्णय Naveen Kumar vs Vijay Kumar And Ors (AIR 2018 SUPREME COURT 983) पर विश्वास किया गया है जिसमें यह विधि प्रतिपादित की गई है-

12 The consistent thread of reasoning which emerges from the above decisions is that in view of the definition of the expression 'owner' in Section 2(30), it is the person in whose name the motor vehicle stands registered who, 6 Mohan Benefit (P) Ltd. v. Kachraji Raymalji, (1997) 9 SCC 103; Rajasthan SRTC v. Kailash Nath Kothari, (1997) 7 SCC 481 ; National Insur-

ance Co. Ltd. v. Deepa Devi, (2008) 1 SCC 414; Mukesh K. Tripathi v. LIC : (2004) 8 SCC 387, Ramesh Mehta v. Sanwal Chand Singhvi (2004) 5 SCC 409, State of Maharashtra v. Indian Medical Assn. (2002) 1 SCC 589 : 5 SCEC 217, Pandey & Co. Builders (P) Ltd. v. State of Bihar (2007) 1 SCC 467 and placed reliance on Kailash Nath Kothari [Rajasthan SRTC v. Kailash Nath Kothari, (1997) 7 SCC 481, National Insurance Co. Ltd. v. Durdadahya Kumar Samal : (1988) 1 ACC 204 : (1988) 2 TAC 25 (Ori) and Bhavnagar Municipality v. Bachubhai Arjanbhai : AIR 1996 Guj 51; Godavari Finance Co. v. Degala Satyanarayanamma, (2008) 5 SCC 107; Pushpa v. Shakuntala, (2011) 2 SCC 240; T.V. Jose [(2001) 8 SCC 748; U.P. SRTC v. Kulsum, (2011) 8 SCC 142; Purnya Kala Devi v. State of Assam, (2014) 14 SCC 142." for the purposes of the Act, would be treated as the 'owner'. However, where a person is a minor, the guardian of the minor would be treated as the owner. **Where a motor vehicle is subject to an agreement of hire purchase, lease or hypothecation, the person in possession of the vehicle under that agreement is treated as the owner.** In a situation such as the present where the registered owner has purported to transfer the vehicle but continues to be reflected in the records of the registering authority as the owner of the vehicle, he would not stand absolved of liability. Parliament has consciously introduced the definition of the expression 'owner' in Section 2(30), making a departure from the provisions of Section 2(19) in the earlier Act of 1939. The principle underlying the provisions of Section 2(30) is that the victim of a motor accident or, in the case of a death, the legal heirs of the deceased victim should not be left in a state of uncertainty. A claimant for compensation ought not to be burdened with following a trail of successive transfers, which are not registered with the registering authority. To hold otherwise would be to defeat the salutary object and purpose of the Act. Hence, the interpretation to be placed must facilitate the fulfilment of the object of the law. In the present case, the First respondent was the 'owner' of the vehicle involved in the accident within the meaning of Section 2(30). The liability to pay compensation stands fastened upon him. Admittedly, the vehicle was uninsured. The High Court has proceeded upon a misconstruction of the judgments of this Court in Reshma and Purnya Kala Devi.

13 The submission of the Petitioner is that a failure to intimate the transfer will only result in a fine under Section 50(3) but will not invalidate the transfer of the vehicle. In Dr T V Jose, this Court observed that there can be transfer of title by payment of consideration and delivery of the car. But for the purposes of the Act, the person whose name is reflected in the records of the registering authority is the owner. The owner within the meaning of Section 2(30) is liable to compensate. The mandate of the law must be fulfilled.

30. हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत घटना के समय अप्रार्थी संख्या 2 हंसराज के आरोपी वाहन का पंजीकृत स्वामी होना निर्विवादित है। यह भी साबित है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चला कर यह दुर्घटना कारित की है। जो वाहन के खरीददार स्वामी होने के साथ ही वाहन का चालक था। इस प्रकार प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं उपर्युक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक रूप से प्रतिकर अदा करने के लिए उत्तरदायी होना पाये जाते हैं। अतः **विवाद्यक 02** प्रार्थीगण के पक्ष में एवं **विवाद्यक संख्या 03** अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक सं. 04</u>

31. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण ने पृथक पृथक क्लेम याचिकाएं पेश की है। जिनके सम्बन्ध में निम्नानुसार विनिश्चय किया जा रहा है-

<u>क्लेम याचिका सं. 02/2020 प्रार्थीगण द्रौपदी बाई आदि के संबंध में:-</u>

32. प्रार्थीगण द्रोपदी बाई, आशीष व अविनाश की ओर से द्रोपदी बाई के पुत्र एवं आशीष व अविनाश के भाई मनोज की मृत्यु की क्षतिपूर्ति स्वरूप याचिका में कुल 85,60,000/- रूपये की मांग की गई है। प्रार्थीया द्रोपदी बाई मृतक मनोज की माता है एवं अप्रार्थी संख्या 3 किरण मृतक मनोज की पत्नी तथा अप्रार्थी संख्या 4 अवयस्क पुत्री हैं जो आश्रित व विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसी प्रकार प्रार्थीगण आशीष व अविनाश मृतक के भाई हैं जो मनोज की मृत्यु के कारण उसके प्रेम व स्नेह से वंचित हुए हैं। देय क्षतिपूर्ति राशि का निम्न प्रकार से निर्धारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है:-

33. क्लेम याचिका में सम्पत्ति की हानि के लिए 10,000/- रूपये, आय की क्षति के लिए 41,40,000/- रूपये, भविष्य की प्रगति एवं होने वाले परिलाभों की क्षति के लिए 20,00,000/- रूपये, मानसिक संताप के लिए 2,00,000/- रूपये, प्रेम स्नेह से वंचित होने के लिए 20,00,000/- रूपये, परिवहन व्यय, क्रिया-

क्रम आदि के व्ययस्वरूप 10,000/- रूपये कुल 85,60,000/- रूपये क्षतिपूर्ति की मांग की है।

34. चूंकि विवाद्यक सं01 एवं 02 प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है एवं विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3, 4 अप्रार्थीगण से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिकर के निर्धारण के लिए न्यायिक दृष्टांत MACT **2017(2)** SC **1201** National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. के मामले में आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादित किये गये हैं, जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया जाये तो प्रकट होता है कि क्लेम याचिका व साक्ष्य में मृतक को ट्यूशन कार्य से 10,000/- रूपए मासिक आय अर्जित करना बताया गया है और सेना भर्ती की तैयारी करना बताया गया है परन्तु आय के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में केवल मृतक को अकुशल कामगार के समतुल्य मानना न्यायोचित प्रतीत होता है, दुर्घटना दिनांक 25.06.2019 को कारित हुई है, इसलिए राजस्थान के राजपत्र प्रकाशित दिनांक 19.05.2019 से प्रभावी एवं तत्समय प्रवृत्त न्यूनतम मजदूरी की दर के अनुसार **225/-** रूपए प्रतिदिन एवं मासिक आय **5,850/-** रूपए के अनुसार मृतक मनोज की वार्षिक आय **5,850 X 12= 70,200/-** रूपये होना पाई जाती है।

35. प्रतिकर की गणना के लिए मृतक मनोज की आयु का तथ्य सुसंगत है। याचिका में उसकी आयु 23 साल होना दर्शाया गया है, आयु का कोई विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन दाण्डिक प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 08 में मृतक की आयु 23 वर्ष दर्ज है मृतक की आयु के इस तथ्य अप्रार्थी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मृतक की आयु 23 वर्ष निर्धारित की जाती है।

36. हस्तगत प्रकरण में मृतक की आयु लगभग **23** वर्ष निर्धारित की गयी है ऐसी स्थिति में में उक्त न्यायिक दृष्टान्त MACT **2017(2)** SC **1201** National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार मृतक की वार्षिक आय में 40 प्रतिशत की वृद्वि किए जाने पर उसकी भावी वार्षिक आय **70,200 का 40% = 28,080 रूपये कुल योग 98,280/-** रूपए होना पाई जाती है। क्लेम याचिका में मृतक के आश्रित उसकी माता, पत्नी, पुत्री व भाई होना प्रकट हुआ है। इसलिए मृतक की वार्षिक आय में स्वयं के निमित्त खर्च की जाने वाली 1/4 भाग राशि की कटौति किया जाना अपेक्षित है।

37. उक्त गणना के अनुसार मृतक की आयु 23 वर्ष होने के दृष्टिगत 18 के गुणक के अनुसार मृतक मनोज की मृत्यु से हुई आय की क्षति की गणना निम्न प्रकार से की जाती हैः-

वार्षिक आय x गुणक =	**कुल क्षति**
98,280 x 18	**17,69,040/-**
मृतक की स्वयं पर खर्च की जाने वाली 1/4 राशि (-)	**4,42,260/-**
आय की कुल क्षति =	**13,26,780/-**

38. उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार प्रार्थी सं. 1 अपने पुत्र के स्नेह व प्रेम से वंचित होने के कारण एवं प्रार्थी सं. 2 व 3 अपने बड़े भाई के स्नेह प्रेम से वंचित होने के कारण तथा अप्रार्थी सं. 3 अपने पति व अप्रार्थी सं. 4 पिता के प्रेम स्नेह सहारे से वंचित होने के कारण सांत्वना राशि के रूप में प्रत्येक को 40,000/-रूपये प्रतिकर दिलवाया जाना तथा दाह संस्कार के व्यय के रूप में 15000/-रूपये एवं दुर्घटना में सम्पदा की क्षति के लिए 15000/- रूपये दिलवाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

39. इस प्रकार प्रार्थीगण निम्नानुसार प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैः-

01- मृतक की आय की क्षति के लिए	=	13,26,780/-
02- सांत्वना राशि	=	2,00,000/-
03- दाह संस्कार के लिए राशि	=	15000/-
04- सम्पदा की हानि के लिए राशि	=	15000/-
कुल प्रतिकर राशि	**=**	**15,56,780/-**

40. इसके अतिरिक्त क्लेम याचिका में चाही गई कोई भी राशि प्रार्थीगण को दिलाया जाने का न्यायोचित आधार नही है। अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 3, 4 इस दुर्घटना में मृतक मनोज की मृत्यु के कारण प्रतिकर स्वरूप कुल **15,56,780/-** रूपये अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 से प्राप्त करने की अधिकारी है और यह क्लेम याचिका अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 के विरूद्ध उक्तानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>क्लेम याचिका सं. 94/2021 प्रार्थी लटूरलाल के संबंध मेंः-</u>

41. प्रार्थी लटूरलाल की ओर से याचिका में क्लेम याचिका में चिकित्सा व्यय के लिए 75,000/- रूपये, उपार्जन की हानि के लिए 90,000/- रूपये, आवागन व्यय 10,000/- रूपये, पोषण व अटेंडेंट व्यय 20,000/- रूपये, कपड़े अन्य वस्तुओं की हानि 5,500/- रूपये, पीड़ा व कष्ट के लिए 2,00,000/- रूपये,

स्थाई अयोग्यता के लिए 5,00,000/- रूपये व उपार्जन शक्ति की हानि 2,00,000/- रूपये कुल 1,53,000/- रूपये प्रतिकर की मांग की गई है। साक्ष्य में प्रस्तुत उसके चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 14 में आहत लटूरलाल के एक साधारण प्रकृति की चोट होना एवं उसकी चोट संख्या 02 एक्स रे के पश्चात् क्वेकिल अस्थि के भंग के कारण गम्भीर प्रकृति की होना पाया गया है। इस तथ्य का खण्डन नहीं हुआ। प्रार्थी लटूरलाल ने अस्पताल में भर्ती रहने व इस दौरान आय की क्षति तथा चिकित्सा व्यय के लिए प्रतिकर की मांग की है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाये हैं। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी लटूरलाल को उसकी चोटों के कारण हुए कष्ट, वेदना के लिए **10,000/-** रूपये प्रतिकर निर्धारित किया जाता है। प्रार्थी ने कपड़ों व वस्तुओं की हानि के लिए 5,500/- रूपये की मांग की है। इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है फिर भी अनुमानित रूप से प्रार्थी को कपडों व वस्तुओं की हानि के लिए **1,000/- रूपये** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त क्लेम याचिका में चाही गई कोई भी राशि प्रार्थी को दिलवाये जाने का युक्तियुक्त आधार नहीं है। अतः प्रार्थी लटूरलाल अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से प्रतिकर के रूप में कुल **11,000/- रूपये** प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष?</u>

42. हस्तगत प्रकरण में विवाद्यक संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण सं. 1, 2, 3/अप्रार्थी सं. 3, 4 व प्रार्थी लटूरलाल के पक्ष में एवं विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थी-गण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध विनिश्चित करते हुए उक्त प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से प्राप्त किये जाने का अधिकारी माना गया है एवं विवाद्यक सं. 4 में सं. 1, 2, 3/अप्रार्थी सं. 3, 4 व प्रार्थी लटूरलाल को दिलाये जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिकाएं उक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

<u>पंचाट</u>

43. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिकाएं अन्तर्गत धारा 166 मो-टर यान अधिनियम 1988 उक्तानुसार स्वीकार की जाकर उक्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 के विरूद्ध पंचाट निम्नानुसार पा-रित किया जाता हैः-

<u>क्लेम याचिका सं. 02/2020 प्रार्थीगण द्रौपदी बाई आदि के संबंध मेंः-</u>

1- अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 संयुक्तः व पृथकतः-पृथकतः प्रतिकर राशि **15,56,780/- रूपये** प्रार्थीगण सं. 1, 2, 3 एवं अप्रार्थी सं. 3, 4 को अदा करेंगे एवं इस पर क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक 30.11.2019 से 6 प्रतिशत वार्षिक

दर से साधारण ब्याज अदा किया जायेगा। शेष प्रतिकर राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

2- उक्त राशि में से पूर्व में प्रार्थी को धारा 140 एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत दिलाई गई राशि यदि कोई हो और वह अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा अदा कर दी गई हो तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित की जावेगी।

3- प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3, 4 को देय क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रतिकर राशि नि-म्नानुसार जरिये बैंक बचत खाता एवं सावधि जमा खाता में जमा करवाई जायेगी। सम्पूर्ण ब्याज राशि उन्हें को नकद अदा की जायेगी जो उक्त पक्षकार जरिये बैंक बचत खाता नकद प्राप्त करेगें।

4- अवार्ड राशि का वितरण निम्न प्रकार से किया जायेगाः-

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाता में नकद	एफ.डी.आर. में	एफडी आर की अवधि
1.	द्रोपदी बाई	1,92,260/- एवं ब्याज राशि	1,50,000/- 1,50,000/-	**02 वर्ष** **03 वर्ष**
2	आशीष	40,000/-	-	-
3	अविनाश	40,000/-	-	-
4	किरण (अप्रार्थी सं. 3)	1,92,260/- एवं ब्याज राशि	1,50,000/- 1,50,000/-	**02 वर्ष** **04 वर्ष**
5	दिशा (अप्रार्थी सं. 4)		4,92,260/-	**वयस्क होने पर**

<u>क्लेम याचिका सं. 94/2021 प्रार्थी लटूरलाल के संबंध मेंः-</u>

1- अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 संयुक्ततः व पृथकतः-पृथकतः प्रतिकर राशि 11,000/- रूपये प्रार्थी लटूरलाल को अदा करेगे एवं इस पर क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक 02.11.2021 से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा कि-या जायेगा। प्रार्थी की शेष प्रतिकर राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

2- प्रार्थी को देय क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रतिकर प्रार्थी जरिये बैंक बचत खाता नकद प्राप्त करेगा। सम्पूर्ण ब्याज राशि भी प्रार्थी को उक्तानुसार नकद अदा की जायेगी।

3- उक्त राशि में से पूर्व में प्रार्थी को धारा 140 एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत दिलाई गई राशि यदि कोई हो और वह अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा अदा कर दी गई हो तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित की जावेगी।

4- अवार्ड राशि का वितरण निम्न प्रकार से किया जायेगाः-

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाता में नकद	एफ.डी.आर.	अवधि
1.	लटूरलाल	11,000/- एवं ब्याज राशि	--	--

44. न्यायिक दृष्टान्त **ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. V. STATE OF RAJASTHAN & ANR. SB CIVIL WRIT NO. 6237/2017** के अनुसरण में आदेश किया जाता हैः-

1- अप्रार्थीगण सं. 1, 2 पंचाट में पारित प्रतिकर राशि का भुगतान अधिकरण के बैंक स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया अकलेरा के खाता संख्या **31165807186**, IFSC Code- **SBIN0006690** में NEFT/RTGS के माध्यम से करेगें।

2- अप्रार्थीगण सं. 1, 2 द्वारा पंचाट की उक्त पालना के संबंध में एक माह में सूचना निर्धारित प्रपत्र में अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, साथ ही उक्त सूचना सम्बन्धित पक्षकारों को भी दी जायेगी। प्रतिकर राशि जमा होने के पश्चात अधिकरण का बैंक पंचाट के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3, 4 को उनके बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करेगा।

3- प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3, 4 का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में नही जोडेगा।

4- प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3, 4 का बैंक उसको उक्त सावधि जमा खाता में जमा राशि के सम्बन्ध में अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नही करेगा एवं अधिकरण की अनुमति के बिना परिपक्वता पूर्व भुगतान नहीं करेगा।

(मुकेश कुमार सोनी)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
अकलेरा, जिला झालावाड़

45. अधिनिर्णय आज दिनांक 07.03.2026 को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
अकलेरा, जिला झालावाड़

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL WAJID CHISTY
Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by ABDUL WAJID CHISTY
Date: 2026.03.11 11:55:55 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।